वी. रामास्वामी, सीजे और जी. आर. मजीठिया, जे. के सामने

हरियाणा राज्य और अन्य, अपीलकर्ता।

बनाम

सत्य प्रकाश वर्मा और अन्य, उत्तरदाता।

लेटर्स पेटेंट अपील नं. 1988 ***का*** 434

10 मार्च, 1989।

भारत का संविधान, 1950- ***अनुच्छेद*** 320 और 321 - ***सरकार ने सहायक जिला उद्योग अधिकारी के 19 पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अनुरोध भेजा - इसके बाद सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग से चयन के लिए केवल*** 8 ***पदों को विज्ञापित करने का अनुरोध किया - संघ लोक सेवा आयोग ने अनुरोध की अवहेलना की और*** 19 ***की सिफारिश की।उम्मीदवार और प्रकाशन परिणाम - संघ लोक सेवा आयोग की कार्रवाई संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से अधिक है।***

संविधान के अनुच्छेद 320 की योजना यह स्पष्ट करती है कि नियुक्ति, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मामले में आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। इन उपबंधों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार के लिए आयोग द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करना अनिवार्य बनाता हो। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए मांगे गए उम्मीदवारों की तुलना में अधिक उम्मीदवारों की सिफारिश करने में आयोग की कार्रवाई कानून के किसी भी प्रावधान के तहत या किसी बाध्यकारी मिसाल पर टिकाऊ नहीं है। आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और आयोग के इस आचरण की निंदा की जानी चाहिए और हम आशा करते हैं कि भविष्य में आयोग संविधान के अनुच्छेद 320 और 321 द्वारा निर्धारित अपने कार्यों पर ध्यान देगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो इन दोनों अनुच्छेदों में से किसी के द्वारा अधिकृत नहीं है। हमें इस बात का कोई औचित्य नजर नहीं आता कि आयोग नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगे गए नामों की तुलना में अधिक नामों की सिफारिश करने पर जोर दे। नतीजतन अपील की अनुमति दी जाती है और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

(पैरा 5)।

माननीय न् यायमूर्ति जे वी गुप्ता द्वारा पारित दिनांक 24 फरवरी, 1988 ***के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट के खंड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील सी.डब्ल्यू. पी.*** 1986 ***का*** 845।

अपीलकर्ताओं की ओर से ***एस.एस.अहलावत, डी.ए.जी.***

अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए पुनीत जिंदल उनके साथ एडवोकेट ***हैं।***

जे. एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. एस. डिंडसा, ***प्रतिवादी आयोग के लिए उनके साथ वकील।***

निर्णय

(1) क्या लोक सेवा आयोग कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 320-321 द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, यह मुख्य प्रश्न है जिसका उत्तर 1968 के इन दो L.P.As संख्या 434 और 435 में दिया गया है। "ये पत्र पेटेंट के खंड एक्स के तहत हरियाणा राज्य द्वारा दायर किए गए हैं, जिसमें इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा छोड़ी गई सूची में से सीधी भर्ती द्वारा सहायक जिला उद्योग ऑयलाइसर्स/डेवलपमेंट ऑयलाइकर्स (बाद में औद्योगिक पदोन्नति अधिकारियों के रूप में

नामित) के 19 पदों को भरने के निर्देश पर सवाल उठाया गया है।

(2) यह प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है। 15 अक्टूबर, 1984 को अपीलकर्ता ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को 19 सहायक जिला उद्योग अधिकारियों/विकास अधिकारियों के चयन के लिए अधियाचन भेजा। फिर भी। बाद में 26 अक्टूबर, 1984 और 28 नवंबर, 1984 को अपीलकर्ता ने हरियाणा लोक सेवा आयोग से केवल आठ पदों के लिए विज्ञापन देने का अनुरोध किया। इस अनुरोध के बावजूद, हरियाणा लोक सेवा आयोग... जल्दी की। सहायक औद्योगिक अधिकारी/विकास अधिकारी के 19 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से विज्ञापन और आवेदन मांगे हैं। हरियाणा लोक सेवा आयुक्त ने 13 जून, 1985 को हरियाणा के उद्योग विभाग के वित्तीय आयुक्त और सरकार के सचिव को लिखा कि उसने 25, 26 और 27 जून, 1985 को हरियाणा भवन, कोपरनिकस रोड, नई दिल्ली में उद्योग विभाग में उपर्युक्त पदों के लिए साक्षात्कार निर्धारित किया था और वित्तीय आयुक्त से सलाहकार के रूप में आयोग की सहायता करने का अनुरोध किया था। 22 जून, 1985 को वित्तीय आयुक्त ने हरियाणा के उद्योग निदेशक को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए लिखा, लेकिन हरियाणा लोक सेवा आयोग से सहायक जिला उद्योग अधिकारियों /विकास अधिकारियों के केवल आठ पदों को भरने के लिए जोर दिया, जैसा कि उनके 23 नवंबर, 1984 और 25 अप्रैल, 1985 के पत्रों में उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात्कार तय तिथि पर आयोजित नहीं किया गया था। हालांकि, यह बाद की किसी तारीख को आयोजित किया गया था, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा संबोधित सभी बाद के पत्रों में, इस बात पर जोर दिया गया था कि सरकार के प्रतिनिधि, जिन्हें सलाहकार की क्षमता में आयोग की सहायता करने के लिए बुलाया गया था, को सहायक जिला उद्योग अधिकारियों / विकास अधिकारियों के केवल आठ पदों को भरने के लिए सरकार के रुख पर जोर देना चाहिए। साक्षात्कार के बाद, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने चयन किया और परिणाम घोषित किया जो डेली ट्रिब्यून में 18 अगस्त, 1985 को प्रकाशित किया गया था। 17 अगस्त, 1985 को आयोग ने उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता के क्रम में निम्नलिखित रोल नंबर वाले 19 उम्मीदवारों की सिफारिश की:-

"2, 78, 94, 58, 64, 68, 79, 51, 78, 105, 57, 96, 61, 36, 103, 49, 50, 71; 54."

हालांकि, अपीलकर्ता ने आयोग द्वारा अनुशंसित में से केवल आठ उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की। जिन उम्मीदवारों को अपीलकर्ता द्वारा नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई थी, लेकिन आयोग द्वारा अनुशंसित चयनित उम्मीदवारों में से थे, उन्होंने हरियाणा *लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदों पर उनकी नियुक्ति का आदेश देने के लिए राज्य सरकार* को परमादेश जारी करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

(3) वही। राज्य ने अपने जवाब में दृढ़ रुख अपनाया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला उद्योग अधिकारियों/विकास अधिकारियों के 19 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था, हालांकि विज्ञापन बनने से पहले ही सरकार ने आयोग को केवल 8 व्यक्तियों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए कहा है। आयोग के लगातार अनुरोध के बावजूद आयोग ने पहले से विज्ञापित 19 पदों के बजाय आठ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए शुद्धिपत्र जारी नहीं किया. आयोग ने नियुक्ति के लिए 19 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। इसमें आगे कहा गया है कि अपीलकर्ता पदों की संख्या 19 से घटाकर 8 किए जाने के मद्देनजर हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और रिट-याचिकाकर्ताओं को पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है।

(4) एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार कर लिया और राज्य

सरकार को औद्योगिक सेवा (राज्य कैडर) द्वितीय श्रेणी नियम, 1966 में प्रदान किए गए अनुसार सीधी भर्ती द्वारा इन 19 पदों को भरने का निर्देश दिया।

(5) भारत के संविधान का अनुच्छेद 320 दो स्थितियों से संबंधित है, अर्थात्, परीक्षा आयोजित करने के लिए लोक सेवा आयोग की शक्ति और सिविल सेवा और सिविल पदों पर भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों में सलाह लेने का सरकार का अधिकार। लोक सेवा आयोग की सलाह लेने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है और इसका अनुपालन न करने पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई अमान्य नहीं होगी। अनुच्छेद 320 की योजना स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करती है कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मामले में आयोग से परामर्श किया जाना है, पदोन्नति या स्थानांतरण। इन उपबंधों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार के लिए आयोग द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करना अनिवार्य बनाता हो। राज्य सरकार द्वारा मांगे गए उम्मीदवारों की तुलना में अधिक उम्मीदवारों की सिफारिश करने में आयोग की कार्रवाई कानून के किसी भी प्रावधान के तहत या किसी बाध्यकारी मिसाल पर टिकाऊ नहीं है। आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और आयोग के उनके आचरण की निंदा की जानी चाहिए और हम आशा करते हैं कि भविष्य में आयोग संविधान के अनुच्छेद 320 और 321 द्वारा निर्धारित अपने कार्यों पर ध्यान देगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो इन दोनों अनुच्छेदों में से किसी एक द्वारा अधिकृत नहीं है। हमें इस बात का कोई औचित्य नजर नहीं आता कि आयोग नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगे गए नामों की तुलना में अधिक नामों की सिफारिश करने पर जोर दे।

(6) लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय की स्थापना नियुक्ति के मामले में मनमानी और भाई-भतीजावाद से बचने के लिए एक पद पर नियुक्ति के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित करना है। चयन आयोग द्वारा किया जाना है और सरकार को लोक सेवा आयोग द्वारा भेजी गई उम्मीदवारों की सूची में योग्यता के क्रम के अनुसार आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित लोगों को नियुक्त करके पदों को भरना है। आयोग को केवल सिफारिशें करनी होती हैं और नियुक्ति के लिए अंतिम प्राधिकारी सरकार है। सरकार सिफारिश को स्वीकार कर सकती है या इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। आयोग की सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में, संविधान राज्य को कारण बताने और ऐसा करने के लिए विधानमंडल के सदन के समक्ष रिपोर्ट रखने का आदेश देता है। इस प्रकार सरकार संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत किसी भी प्रस्थान के लिए सभा के प्रति जवाबदेह है। हालांकि, यह सिफारिश करने वाले को किसी भी कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करता है।

(7) ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे उपर्युक्त निष्कर्ष को सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से समर्थित किया गया है। राज्य हरियाणा सरकार बनाम *सुभाष चंद्र मारवाह और अन्य*[1], *और जतिंदर कुमार और अन्य* बनाम *पंजाब राज्य और* अन्य[2]| पूर्व के तहत एक पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) सेवा नियम का मामला था । राज्य सरकार ने इस आशय का एक विज्ञापन प्रकाशित किया था कि हरियाणा जनता। सेवा आयोग हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में 15 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित करेगा। उस परीक्षा में चालीस उम्मीदवारों ने 45 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। तथापि, राज्य सरकार ने केवल पहले सात अभ्यथयों को सेवा में नियुक्त किया और उसने इस आधार पर उस संख्या से अधिक नियुक्तियां नहीं की कि उच्च न्यायालय ने पूर्व में सूचित किया था कि

[1] 1973 (2) एसएलआर 137।

[2] ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1850.

परीक्षा में 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यथयों को न्यायिक सेवा के मामले में उच्च स्तर की योग्यता बनाए रखने के हित में अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सूची के नंबर 8, 9 और 13 पर उम्मीदवार, जिन्हें विज्ञापित रिक्तियों के आलोक में नियुक्त किए जाने की उम्मीद थी, ने राज्य सरकार की उक्त कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती दी कि वह इस अर्थ में चुनने और चुनने का सहारा नहीं ले सकती है कि 40 में से केवल 7 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था और चूंकि वे निर्धारित मानक पर भी आ गए थे, इसलिए वे सेवा में नियुक्त होने के हकदार थे। अधिसूचित रिक्तियों की संख्या को देखते हुए। इसके विपरीत, सरकार का रुख यह था कि वह न्यायिक योग्यता के उच्च मानक के हित में पहले सात उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए उनके लिए खुली थी। रिट-याचिकाकर्ताओं के रुख को नकारते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: -

> "इस मामले में उच्च न्यायालय के तर्क का पालन करना मुश्किल है। यह सहमति व्यक्त की गई कि 15 रिक्तियों का उल्लेख करने वाले विज्ञापन में किसी भी उम्मीदवार को अधीनस्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं दिया गया है। फिर भी इसने किसी तरह उम्मीदवारों में एक अधिकार बताने के लिए खुद को राजी किया क्योंकि वास्तव में 15 रिक्तियां थीं। एक स्थान पर यह कहा गया था कि जब तक रिक्तियों को भरा जाना है और लोक सेवा आयोग द्वारा अग्रेषित सूची में योग्य उम्मीदवार हैं, उन्हें भाग सी में नियम 10 (ii) के तहत चयनित होने का कानूनी अधिकार है। कोई यह देखने में विफल रहता है कि रिक्तियों का अस्तित्व एक उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए चुने जाने का कानूनी अधिकार कैसे देता है। परीक्षा यह दिखाने के उद्देश्य से है कि कोई विशेष उम्मीदवार विचार के लिए योग्य है। नियुक्ति के लिए चयन बाद में आता है। तब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह यह निर्णय ले कि कितनी नियुक्तियां की जाएंगी। केवल यह तथ्य कि किसी उम्मीदवार का नाम सूची में है, उसे नियुक्त किए जाने का अधिकार नहीं देगा ।

बाद में उल्लिखित मामले में, शीर्ष अदालत के उनके लॉर्डशिप को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि "प्रत्याशित रिक्तियों के खिलाफ भर्ती के उद्देश्य से चयन और चयन की प्रक्रिया उस पद पर नियुक्त होने का अधिकार पैदा नहीं करती है जिसे *परमादेश द्वारा लागू किया जा सकता है।*

(8) विद्वान एकल न्यायाधीश ने नीलिमा शांगला बनाम *नीलिमा शांगला बनाम* हरियाणा *राज्य*[3] *पर भरोसा करते हुए* अपना निर्णय बरकरार रखा है। उस मामले में, तथ्य निम्नानुसार थे: रिट-याचिकाकर्ता सेवा में 54 रिक्तियों को भरने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में चयन और नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा के परिणामस्वरूप क्रम संख्या 24 पर स्थान पर रहा। हालांकि, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने केवल 26 उम्मीदवारों की सिफारिश की, और इनमें 17 सामान्य श्रेणी से शामिल थे, जिससे याचिकाकर्ता संबंधित था। न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता का दावा था कि सामान्य श्रेणी से योग्यता के क्रम में 32 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना जाना चाहिए था और सेवा आयोग ने सरकार और उच्च न्यायालय से सभी सफल उम्मीदवारों के नामों को अवैध रूप से रोक दिया था। उन्होंने दलील दी कि अगर आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियमों के नियम 8 और 10 का

[3] (3) एजेआर 1 1987 एससी 1169

पालन किया होता तो उनका चयन हो गया होता। न्यायालय के समक्ष हरियाणा सरकार का रुख यह था कि वे अधिक उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति करने में असमर्थ थे क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा केवल कुछ उम्मीदवारों के नाम उन्हें भेजे गए थे। सरकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि कई उम्मीदवारों के नाम जो उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन उनके नाम आयोग द्वारा रोक दिए गए थे, ने आयोग को नए सिरे से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए लिखा था। इन तथ्यों के आलोक में और नियमों की योजना की जांच करते हुए उनके लॉर्डशिप ने कहा था -

> इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सेवा आयोग का कर्तव्य लिखित परीक्षा आयोजित करने, मौखिक परीक्षा आयोजित करने तक ही सीमित है / *लिखित* और मौखिक परीक्षा के *परिणामस्वरूप अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच अंकों के अनुसार योग्यता के क्रम की परीक्षा और* व्यवस्था करना। इसके बाद लोक सेवा आयोग को राजपत्र में परिणाम को रद्द करने के लिए फिर से नियुक्त किया जाता है और जाहिर ा तौर पर परिणाम सरकार को उपलब्ध कराया जाता है। लोक सेवा आयोग को कोई भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है

योग्य उम्मीदवारों में से आगे का चयन और इसलिए, किसी भी योग्य उम्मीदवारों के नामों को रोकने की उम्मीद नहीं है। लोक सेवा आयोग का कर्तव्य योग्यता के क्रम में व्यवस्थित योग्य उम्मीदवारों की पूरी सूची सरकार को उपलब्ध कराना है। तत्पश्चात् सरकार को चयन सख्ती से उसी क्रम में करना होता है जिस क्रम में उन्हें परीक्षा के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा रखा गया है। चयनित उम्मीदवारों के नाम तब उस आदेश में सख्ती से उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं और उस रजिस्टर में दर्ज नामों से की गई नियुक्तियां भी उसी क्रम में सख्ती से की जाती हैं। निस्संदेह, यह सरकार के लिए खुला है कि वह वैध कारण से सभी रिक्तियों को न भरे। उदाहरण के लिए, सरकार और उच्च न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि यद्यपि 55 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक है, उच्च मानकों के हित में वे किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे जिसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हों। हरियाणा सरकार *बनाम* सुभाष चंद्र मारवाह और अन्य के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
याचिकाकर्ता को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा नियमों के उल्लंघन के आलोक में उस मामले में राहत दी गई थी। अन्यथा, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह निश्चित रूप से सरकार के लिए खुला है कि वह वैध कारण से सभी रिक्तियों को न भरे। उदाहरण के लिए, सरकार और उच्च न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि यद्यपि 55 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक है, उच्च मानकों के हित में, वे किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे जिसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हों।

(9) टीएन *मणि सुब्रत जैन आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* [4], शीर्ष अदालत ने मंडमस के दायरे को समझाया| इस मामले में, निम्नलिखित परिस्थितियों में सवाल उठा: उच्च न्यायालय ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में बार से सीधी भर्ती के कोटे में दो रिक्तियों को भरने के लिए बार के पात्र सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किए। उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को जिला/अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट

[4] ए.टी.आर. 1977 एस.सी. 276.

के समक्ष अपील में दो अपीलकर्ताओं के नामों की सिफारिश की। हरियाणा सरकार ने किया खारिज सिफारिश। इसके बाद दोनों अपीलकर्ताओं ने अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर *की और ज़िला* /अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया जिसमें इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था: –

> "अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करता है। यदि उच्च न्यायालय द्वारा नामों की सिफारिश की जाती है, तो राज्यपाल के लिए सिफारिश को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।

और इन परिसरों में, शीर्ष न्यायालय ने परमादेश की रिट जारी करने से इनकार कर दिया और निम्नानुसार कहा: –

> पीठ ने कहा, 'यह प्राथमिक है, हालांकि यह फिर से कहा जाना चाहिए कि कोई भी *कानूनी अधिकार के बिना परमादेश* की मांग नहीं कर सकता . कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार के रूप में एक न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार होना चाहिए, इससे पहले कि कोई कानूनी शिकायत से पीड़ित व्यक्ति *परमादेश मांग सके।किसी व्यक्ति को* केवल तभी व्यथित कहा जा सकता है जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार से वंचित किया जाता है, जिसके पास कुछ करने का कानूनी 'कर्तव्य है या कुछ करने से बचना है' - (देखें हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम 4 वां संस्करण, खंड 1, पैराग्राफ 122; *हरियाणा राज्य* बनाम *हरियाणासुभाष चंदर, (*1974)' 1 एससीआर 165 = (एआईआर 1973 एससी 2216); *जसभाई मोतीभाई देसाई* बनाम *रोशन कुमार हाजी बशीर अहमद* (1976) 3 एससीआर 58 = एआईआर; एससी 578 और फेरिस असाधारण कानूनी उपचार पैराग्राफ 198।

(10) उपर्युक्त कारणों से, अपील ों को अनुमति दी जाती है और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। राज्य सरकार रोस्टर के नियम का पालन करते हुए नियमों और स्लैब के अनुसार अपेक्षित रिक्तियों को सख्ती से भरेगी। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी